आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 20.11.2023 से 27.11.2023)

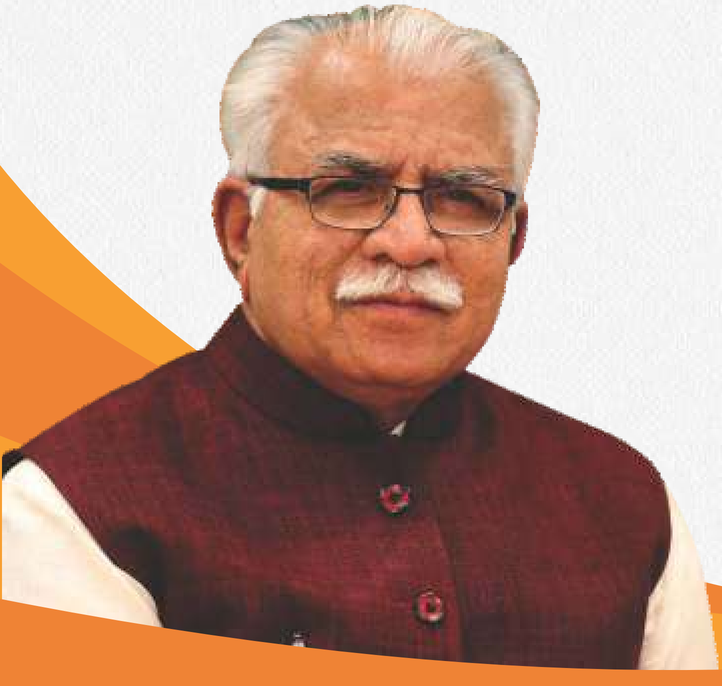

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

दिवंगत जवानों को श्रद्धांजलि

(दिनांक 20.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिला पलवल के गांव बहीन में ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए जवान मनमोहन सिंह के घर पहुँचे और परिजनों का ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना सबसे बड़ा बलिदान है। देश के लिए शहीद होना मनुष्य जीवन का सर्वोच्च गौरव है। शहीदों के परिवार की हर संभव मदद हरियाणा सरकार करेगी।

उल्लेखनीय है कि **लेह लद्दाख में सेना का एक ट्रक खाई में गिर जाने के कारण आर्टलरी विंग का गनर मनमोहन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे।** इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी **पिछले महीने शहीद हुए वीर युधिष्ठिर के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए गावं खाम्बी पहुंचे।** उन्होंने शहीद युधिष्ठिर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार दिवंगत जवान के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। गांव खाम्बी निवासी युधिष्ठिर का गत माह सिक्किम की तीस्ता नदी में बाढ़ आने से निधन हो गया था।तदोपरांत उन्होंने गांव गढीपट्टी में शहीद महेंद्र सिंह के निवास स्थान पर गए और शहीद महेंद्र सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

शहीदों की बहनों के अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान

(दिनांक 20.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीदों के परिवारों के कल्याण हेतु अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 10 पैरा रजिमेंट के **वीर सैनिक सिपाही शहीद सत्यवान की बहन मंजू रानी को नीति में छूट देते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ग्रुप सी पद पर तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।** उन्होंने निर्देश दिया कि मंजू रानी को एचटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करते ही टीजीटी शिक्षक के पद की पेशकश की जाएगी।

पहले 30 मई 2014 और 28 सितंबर 2018 की नीति में शहीद की 'बहन' को रोजगार की अनुमति नहीं थी। इससे पहले 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने **शहीद कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू को नीति में छूट देकर सहायक रोजगार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की थी।** माननीय

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि शहीदों की पात्र बहनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए नीति में संशोधन किया जाए। 14 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या से प्रभावी संशोधित नीति के तहत पहले ही शहीदों के आश्रित परिवार के सदस्यों के दायरे में 'बहन' शब्द को शामिल करने के लिए परिभाषा का विस्तार कर दिया है। यह निर्णय राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले लोगों के प्रति न्याय, करुणा और कृतज्ञता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार के समर्पण को दर्शाता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन हरियाणा कर्मयोगी बनने का संदेश

(दिनांक 20.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने विडियो संदेश के माध्यम से आज हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम व इसी संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में **'मिशन हरियाणा कर्मयोगी'**, के तहत मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण का शुभांरभ किया। ये मास्टर ट्रेनर सरकारी कर्मचारियों में सेवा–भाव और नैतिक व्यवहार को मजबूत करने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा इसके बाद अपने–अपने जिला में लगभग 3.3 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन कर्मयोगी के पहले सत्र में हम एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व में देश का ऊंचा स्थान बनाने और देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का लक्ष्य रखा

साप्ताहिक सूचना पत्र

गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि हमें **जन सेवा को मिशन बनाना होगा। जो सेवाभाव से कार्य करे वह कर्मयोगी है।** उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हमें अपनी मनःस्थिति में बदलाव लाना होगा। इस बदलाव के तहत हमें जनता को केवल नागरिक न समझकर उसे अपना परिवार मानना होगा।

नैतिकता एक स्वाभाविक चीज है इसे याद कराया जाता है और याद कराने के लिए ही यह अभ्यासक्रम आरंभ किया गया है। नैतिकता के लक्षण बताते हुए कहा कि ईमानदारी, समय पालन, मधुर वचन, कर्तव्य में चोरी न करना, किसी को ठेस न पहुंचाना, ठीक व गलत की वास्तविक पहचान करना, अपनी क्षमताओं का दोहन करके पूर्ण रूप से सेवा में लगाना नैतिकता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेश में क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश, अपने कर्मियों के लिए कर्मयोगी मिशन को प्रारंभ करने वाला हरियाणा पहला राज्य है और पहला राज्य होने के नाते से हमें इसका गर्व भी है।

उन्होंने मिशन कर्मयोगी की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कार कायम रहें, मूल्य आधारित आचार–व्यवहार हो और आदर्श स्थापित हों इसके लिए कर्मयोगी जैसे मिशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय समाज का उत्थान करना पहला कार्य है।

इस कार्य को करने से हमारा दायित्व तो पूरा होगा ही इससे आनंद संतोष और सुख भी मिलेगा। उन्होंने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर बल दिया और आवश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारियों के हित का भी पूर्ण ध्यान रखेगी। मिशन कर्मयोगी हरियाणा के लिए इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की सराहना की।

साप्ताहिक सूचना पत्र

पराली प्रबंधन

(दिनांक 21.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पराली से संबंधित वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके के लिए पंजाब को हरियाणा से सीख लेनी की नसीहत दी है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में पराली के मामले में दोषी कौन है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लिया है और किसानों के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने में काफी सफलता पाई है। **प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो स्वास्थ्य से संबंधित है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।** इस समस्या के समाधान के लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। पिछले दिनों प्रदूषण के कारण ऐसे हालात हो गए कि कुछ स्थानों पर स्कूल बंद करने पड़े।

वर्ष 2022 से 2023 के बीच हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 39 प्रतिशत की कमी आई है। हरियाणा की तुलना में पंजाब में वर्ष 2023 में पराली जलाने की 31932 घटनाएं सामने आई हैं जो कि हरियाणा से कहीं अधिक है और दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदेश में लगातार घट रही पराली जलाने की घटनाओं से साबित होता है कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के प्रयास धरातल पर सफल साबित हुए हैं। पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार ना केवल जागरूकता अभियान चला रही है बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) के साथ बैठक

(दिनांक 21.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां **जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) के साथ बैठक की अध्यक्षता कर पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि कोई बच्चा किसी सरकारी या निजी स्कूल, गुरुकुल, मदरसे या कदम स्कूल (स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर) इत्यादि में नामांकित नहीं है, तो उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा सकें।** उन्होंने कहा कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। बच्चे अच्छे नागरिक बनें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इसके लिए बच्चों और शिक्षक का अनुपात सही होना चाहिए। सरकार

द्वारा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब सरकार ने हरियाणा को जीरो ड्रॉप–आउट राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ–साथ हर प्रकार से उनकी चिंता कर रही है, ताकि उनकी नींव मजबूत बन सके। इसलिए बच्चों को स्कूल तक आने–जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। **डीईईओ को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि एमआईएस पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों का डाटा निरंतर अपडेट करें।** डीईईओ ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि लगभग 3 हजार अप्रवासी बच्चे ऐसे हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, इस कारण उनका डाटा एमआईएस पर अपडेट नहीं किया जा सकता। इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य

के स्कूलों में दाखिला ले चुके ऐसे अप्रवासी परिवारों के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप बचपन से ही बच्चों की बुनियाद सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 4 हजार आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया है, जहां बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब राज्य सरकार की यह योजना है कि जो बाल वाटिकाएं स्कूल परिसर में स्थित हैं, उनकी जिम्मेवारी स्कूल की होगी, ताकि बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिल सके।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रेस वार्ता को संबोधित करना

(दिनांक 21.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कहा कि कोविड–19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध दर्ज एफआईआर को वापिस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 8275 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कुल 14,127 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। विकासशील देश भारत को अगले 25 साल के अमृत काल में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र

बनाने के विज़न के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आमजन के बीच जाकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ–साथ किसी कारणवश जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं, उन्हें त्वरित लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में 50 दिनों के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है और यह यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा में 60–70 एलईडी वाहनों के माध्यम से 6222 ग्राम पंचायतों व 88 नगर निकायों को कवर किया जाएगा। राज्य में लगभग 5 हजार से 7 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थलों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे, जहां मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

जिला जींद में स्कूली छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संबंधित स्कूल में महिला प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया गया है और 16 नये स्टाफ की नियुक्ति की गई है।

धान खरीद के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जल संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसी उद्देश्य से किसानों को धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण के मामले में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते न्यायालय में इस मामले को लेकर

मजबूत पैरवी करेगी। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि 5 नगर निगमों का जनवरी माह तक का कार्यकाल है, उसके बाद इन निगमों के चुनाव होने हैं। इसके लिए वार्डबंदी का कार्य पूरा हो चुका है।

एक पत्रकार को उन्होंने बताया की प्रदेश में गत दिनों जहरीली शराब पीने के कारण मरने वालों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता देते हुए 11 लोगों के परिवारजनों के बैंक खातों में 38 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता राशि दी गई। यह सहायता राशि दयालु योजना के तहत निर्धारित विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार दी गई है। इन 11 लाभार्थियों में से 4 सदस्यों के परिवारों को 5 लाख रुपये और 6 सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपये की राशि भेजी गई है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक–वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 1159 लाभार्थियों को 44.48 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई।

आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा करवाये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25 प्रतिशत (सबसे अच्छा प्रदर्शन) की श्रेणी में आने वाली निकायों के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगली 25 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को भी 9,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त में 1 किस्त दी जाएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता

(दिनांक 24.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किया की एलुमनी समुदाय में अंतर्निहित अपार संभावनाओं को पहचानते हुए **विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पूर्व छात्र नेटवर्क और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को सक्रिय कर प्रभावी ढंग से उन्हें विश्वविद्यालयों के बुनियादी विकास में शामिल करने का आग्रह किया।**

एलुमनी के सक्रिय सहयोग से विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को बढ़ाते हुए बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

कैथल में महर्षि वाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बस खरीदने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 25 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। इससे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास सहित छात्रों और स्टाफ सदस्यों के लिए परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में खेल से संबंधित रिक्त पदों पर प्रतिभावान पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्त जायेगा।

उन्होंने विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की भी व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को उनके समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

शहर स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक

(दिनांक 24.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा निवास में शहर स्थानीय निकाय विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रापर्टी आईडी की आपत्तियों का निपटान त्वरित करें। यह बड़ा काम है, जिसकी आपत्ति है उसका ठीक से समाधान कराएं। इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि **माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है। 50 दिन तक हरियाणा में इसे विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा।** नगर निगमों में वार्ड स्तर पर, नगर परिषदों में चार–पांच मिलाकर ओर नगर पालिकाओं में एक

स्थान यात्रा चलाई जाएगी। यात्रा का उद्देश्य आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना है।

जनसंवाद कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100 से अधिक हो चुके हैं। अब शहरों में भी इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने होंगे। विज्ञापनों से भी आय बढ़ने की काफी संभावना है। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी गई कि विज्ञापनों पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में चार प्रतिशत, नगर परिषदों को दो प्रतिशत और नगर पालिकाओं में एक प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया है।

इस बात की भी जानकारी दी कि ई–आक्सन के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। बैठक में बताया गया है कि निकायों अंर्तगत 457 कालोनियों तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कालोनियों को नियमित किया जाना है। जनवरी 2024 तक पांच नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद चुनाव करवाया जाएगा।

करनाल में राजकीय उत्तर रक्षा गृह की ईमारत का उद्घाटन

(दिनांक 25.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने शनिवार को **करनाल में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 6.54 करोड़ रुपये की लागत से बनी राजकीय उत्तर रक्षा गृह की ईमारत का उद्घाटन किया।**

इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के 6 एकड़ में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, अभी उनमें से एक ईमारत बनकर तैयार हुई है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है।

जो महिलाएं असहाय हैं, जिन्हें सरकारी आश्रय की जरुरत होती है, ऐसी महिलाओं के लिए नारी निकतेन बनाया गया है। साथ में ही वर्किंग वुमन हॉस्टल भी बनाया जाएगा। 2142.40 स्कवेयर मीटर में बनी इस राजकीय उत्तर रक्षा गृह (नारी निकेतन), करनाल की ईमारत में ग्राउंड फ्लोर समेत कुल चार फ्लोर हैं। इसमें परामर्श कक्ष, 3 डोरमैट्री,

डाइनिंग रूम, किचन, लाइब्रेरी, 2 क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, प्रशिक्षण कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजनालय कक्ष, ईलाज हेतु पैरामेडिकल कक्ष तथा शारीरिक व मानसिक रूप से निशक्त महिलाओं की सुविधा हेतु लिफ्ट का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ–साथ कार्यालय स्टॉफ हेतु पांच कार्यालय कक्ष, विजिटर रूम, स्टोर रूम, महिला शौचालयों आदि की पर्याप्त व्यवस्था है। बता दें कि राजकीय उत्तर रक्षा गृह करनाल (नारी निकेतन) वर्ष 1982 से कार्यरत है।

8 राज्य राजमार्गों के सुधार और सिवाहा–पिल्लूखेड़ा रोड के चौड़ीकरण को मंजूरी प्रदान

(दिनांक 25.11.2023)

प्रभाव : हरियाणा राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकसाथ कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 75.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8 राज्य राजमार्गों के सुधार के अलावा 1.47 करोड़. की लागत से सिवाह–पिल्लूखेड़ा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि इनमें **अंबाला जिले जगाधरी–बिलासपुर साढौरा–नारायणगढ़–रायपुर रानी का सड़क सुधार शामिल है। साथ ही भिवानी जिले में बरवाला–हिसार–सिवनी सिंघानी सड़क (एसएच–19) का सुधार शामिल है। रेवाडी–दाहिना–कनीना–महिंदरगढ़–सतनाली–लोहारू सड़क (एसएच संख्या 26) का सुधार भी इसमें शामिल है। इसके अलावा महेन्दरगढ़ जिले में महेन्दरगढ़–सतनाली–लोहारू सड़क (एसएच–24) का सुधार भी किया जाएगा।**

सिवाहा से पिल्लूखेड़ा तक सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने को भी मंजूरी दी। पहल सिवाहा और पिल्लूखेड़ा गांवों के निवासियों को लाभान्वित करने और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लक्ष्य से की जा रही है। इससे स्थानीय अनाज बाजार तक आसान पहुंच की सुविधा भी मिलगी। हरियाणा सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे का विकास होगा और निस्संदेह इससे राज्य भर में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार करके जनता को पर्याप्त लाभ पहुंचेगा।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से सिधा संवाद

(दिनांक 25.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज करनाल से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से सीधा संवाद कर कहा कि मुझे आज प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का अवसर मिला है जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया है, ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिया किया जा सकें। उन्होंने कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है, उसे अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद

साप्ताहिक सूचना पत्र

पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि **1 जनवरी 2024 से बढाकर 3 हजार रुपये करने की घोषणा की हुई है।**

उन्होंने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि **60 साल की आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने सहमति से पेंशन लेने से मना किया उनकी 40 हजार सख्या है। इस नाते से वर्ष का लगभग 100 करोड रूपये बनता है।**

सेवा के भाव से इस बची हुई राशि को 22 जिलो में बनने वाले वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम' योजना के तहत सेवा आश्रमों में 100 करोड रूपये की राशि का बजट सेंक्शन किया जाता है ताकि उनके भवन बन सकें और देखभाल के लिए व्यवस्था हो सकें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कार्नर बनाए गए हैं।

उन्होंने संवाद के दौरान कहा कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए इस वित्त वर्ष

के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 'प्रहरी' योजना शुरू करने की घोषणा की थी। **परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3 लाख 30 हजार बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं, जो अकेले रह रहे हैं। 'प्रहरी' योजना में इन बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे।** यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, सम्पत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी, तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जिला स्तर पर परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

(दिनांक 25.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां जिला परिषदों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई जिला स्तर पर परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान सड़कों की दक्षता और रखरखाव बढ़ाने के लिए कहा कि राज्य सरकार ने एचएसएएमबी (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड) सड़कों की रखरखाव जिम्मेदारी संबंधित जिला परिषदों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य **वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।** उन्होंने अधिकारियों को जिला परिषदों में परियोजनाओं के लिए समर्पित इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने का भी निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम प्रभावित नहीं होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उन्होंने ग्रामीण खेल स्टेडियम, चौपाल, सामुदायिक केंद्र, स्ट्रीट लाइट, इनडोर जिम, ई–लाइब्रेरी और स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला परिषदों के तहत जिलों के भीतर चल रही परियोजनाओं की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन किया और कहा कि इन परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं। उन्होंने संबंधित जिलों में परियोजनाओं की प्रगति को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए जिला परिषदों के अध्यक्षों और सीईओ के बीच कुशल समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने चल रहे कार्यों में किसी भी देरी को दूर करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को छोटे गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची फिरनियों की मरम्मत और उन्हें पक्का करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत 1000 अतिरिक्त ई–लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। और मौजूदा भवनों के साथ ग्राम पंचायतों में ई–लाइब्रेरी और इंडोर जिम की स्थापना वर्तमान में चल रही है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

शुभारंभ करते हुए नशामुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो शब्दों (संस्कार व ध्यान) में नशा मुक्ति का समाधान देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों व समाज से मिले संस्कार और ईश्वर भक्ति में ध्यान साधना हमें नशे से दूर रख सकती है। इसलिए **अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नशे से लड़ने के लिए संत समाज और अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं और नशे के विरुद्ध अनेक कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।**

उन्होंने कहा कि नशा विश्वव्यापी समस्या बन चुका है और यह देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है, जो मानवता के लिए बड़ा खतरा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

इसलिए हमें इस चुनौती से निपटना है तो हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार भी तीन प्रकार से नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही है। पहला जनजागरण, दूसरा नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को इस कुचक्र से बाहर निकालकर उनका पुनर्वास करना तथा तीसरा नशे की आपूर्ति की चेन को नष्ट करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध **सितंबर माह में ड्रग फ्री संकल्प साइकिल यात्रा निकाली गई। 25 दिन तक चली इस यात्रा में 5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए और सबने मिलकर नशे के विरुद्ध एक साथ लड़ने का संकल्प लिया।** उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका के लिए बहनों, माताओं और बेटियों का आह्वान किया कि वे अपने भाईयों व बेटों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें हमेशा नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के लिए 21 लाख रुपये अनुदान राशि देने की घोषणा की।

ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत

(दिनांक 26.11.2023)

प्रभाव : ** माननीय मुख्यमंत्री जी ने **प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्यातिथि शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे मनमोहिनी भवन की आधारशिला रखने के साथ–साथ ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम को भी लोकार्पित किया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने **नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का**

पानीपत जिला के समालखा में जन आशीर्वाद रैली आयोजन

(दिनांक 26.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने रविवार को पानीपत जिला के समालखा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली के

दौरान घोषणा करते हुए **प्रदेश के 1 लाख 80 हजार रुपये आय वाले परिवारों की लड़कियों की सरकारी व प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया है।** यही नहीं उन्होंने कहा कि 1 लाख 80 हजार रुपये से 3 लाख आय तक के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की आधी फीस सरकार देगी। जिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस देनी होगी, वह हरियाणा सरकार देगी। उन्होंने समालखा को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने समालखा वासियों के लिए करोड़ों रुपये की सौगात का पिटारा खोल दिया। **उन्होंने कहा कि जहां जमीन मिलेगी, वहां 100–100 एकड़ के दो सैक्टर समालखा में बनाए जाएंगे।** समालखा में 50 बेड के सीएचसी को 100 बैड का अस्पताल

बनाए जाने की घोषणा की। **करहंस गांव से पट्टीकल्याणा के पास जो माइनर है, उस पर पूर्वी बाईपास के रूप में 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी।** उन्होंने रविदास सभा और कश्यप राजपूत धर्मशाला को 11–11 लाख रुपये देने की घोषणा की। समालखा से नरायणा फाटक पर अंडरपास के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपये के काम को करवाने की घोषणा की। समालखा बस अड्डे के सामने हाईवे पर अंडरपास बनाया जाएगा। चुलकाणा धाम पर लाइटें लगाने व सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ देने की घोषणा की। 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बापौली में सब्जी मंडी बनवाई जाएगी। बापौली गांव में बस अड्डा बनवाया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए साढ़े 8 करोड़ रुपये देने और पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की। पिछले वर्ष भापरा स्टेडियम का उद्घाटन किया था लेकिन वह अभी तक खेल विभाग को नहीं मिल पाया है। यह स्टेडियम आगामी 1 महीने में खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। समालखा की फाउंड्री इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। डिकाडला के नजदीक एचएसआईआईडीसी के माध्यम से उद्योगों के लिए 100 से 500 एकड़ जमीन लेकर इंडस्ट्री को दी जाएगी।

प्रकाश पर्व

(दिनांक 26.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर **प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए श्री नाडा साहिब गुरूद्वारा पंचकूला में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया।** इस अवसर पर उन्होंने ऐतिहासिक श्री नाडा साहिब गुरूद्वारा में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया और देश व प्रदेशवासियों के कुशलक्षेम की कामना की।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देशभर में तीर्थ और धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना चलाई जा रही है। इसी योजना के तहत गुरूद्वारा नाडा साहिब में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन आज श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर किया गया है। इस **पार्किंग**

का शिलान्यास स्वयं उन्होंने 27 अक्तूबर 2020 को किया था। लगभग 9500 वर्ग मीटर में बने इस पार्किंग के निर्माण पर 13 करोड़ 55 लाख 26 हजार रुपये की लागत आई है और इसमें 300 वाहन पार्क किए जा सकेंगे।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कपालमोचन तीर्थ में गुरु परंपरा के सभी लोग जुड़े हैं और लाखों लोग वहां स्नान करने आते हैं। कल सायं भी लगभग 5 लाख लोगों ने स्नान किया। इसी तरह गुरूद्वारा नाडा साहिब में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्हें भी आज गुरूपर्व के अवसर पर नाडा साहिब गुरूद्वारा आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुरूघर में माथा टेक कर देश व प्रदेश की जनता की कुशलश्रेम की कामना की है और इस अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए कॉलेजों में निशुल्क शिक्षा की घोषणा के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्टस, साईस और कॉमर्स के डिग्री कॉलेजों में 1 लाख 80 हजार रुपये सालाना आय वाली गरीब परिवारों की बेटियों को प्राईवेट कॉलेजों में भी निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसी बेटियों की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा 1 लाख 80 हजार रुपये से 3 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों की बेटियों की 50 प्रतिशत फीस की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 27.11.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुए जिसमें बहुत सी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जोकि निम्नप्रकार से हैं–

मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 15 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया साथ ही विधायी कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023।

बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना पूर्व–जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों नामतः हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय

क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।

पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए तीन गांवों की ग्राम पंचायतों को अपनी 350.5 एकड़ जमीन बेचने की दी मंजूरी।

पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के लिए विस्तार के लिए तीन गांवों आसन कलां, बाल जाटान तथा खण्डरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई।

आईओसीएल, पानीपत रिफाइनरी भूमि को बाजार कीमत 2.20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी। इसके अलावा, आईओसीएल इन गांवों के विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि का भी भुगतान करेगी।

संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति में संशोधन को मंजूरी।

बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कम्युनिकेशन एन्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी–2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह नई पॉलिसी कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी–2017 की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी।

यह संशोधित नीति सड़कों के किनारे नलिकाओं के माध्यम से 5जी सक्षम

साप्ताहिक सूचना पत्र

बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है, जिससे कई सेवा प्रदाताओं को राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) उपलब्धता को अनुकूलित करने और कई बुनियादी ढांचे प्रदाताओं द्वारा आरओडब्ल्यू में खुदाई के कारण होने वाले बार–बार होने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए एक ही बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति मिलती है।

सरकार ने कैंसर रोग की थर्ड एवं फोर्थ स्टेज के मरीजों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।

इसके तहत कैंसर के गंभीर रोगियों की आवश्यकता, जीवन–यापन के खर्चों, बुनियादी जरूरतों, चिकित्सा व्यय, अप्रत्यक्ष लागत, ओओपीई आदि के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र कैंसर रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी, 2024 से

3000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे कैंसर के मरीज, जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपये से कम है, वे पात्र होंगे।

बैठक में में यह भी निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति आयोग राज्य के नायक समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेजेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ–साथ हरियाणा राज्य की पिछड़ा वर्ग ब्लॉक–ए में क्रम संख्या –1 से 7 जातियों नामतः अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाने तथा क्रम संख्या 31 पर जंगम–जोगी शब्द को संशोधित कर जंगम कर दिया गया है। संशोधन के अनुसार अब हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक–ए सूची में से अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी

को हटाया जाएगा। इसके अलावा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक–ए सूची में क्रम संख्या 50 पर उल्लेखित राय सिख जाति को भी हटाया जाएगा। यह सभी जातिया पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची तथा हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक–ए सूची में शामिल थी, अब ये जातियां केवल हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में रह गई हैं। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा।